

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4772...../

जबलपुर, दिनांक 11 / 07 / 2025

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर में पदस्थ कर्मचारी को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1/2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार कॉलम नं. 3 की दिनांक से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	नाम व पद	गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति हेतु दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	इशरत खान, जूनि. ज्यू. असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर	31.05.2025
2.	श्री इंदल सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर	14.05.2025
3.	श्री नितिन यादव, जूनि. ज्यू. असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर	26.05.2025

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/4773...../
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 11 / 07 / 2025

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
5. इशरत खान, जूनि. ज्यू. असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
6. श्री इंदल सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
7. श्री नितिन यादव, जूनि. ज्यू. असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)